

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खंड 3—उप खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 301] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 3, 1973/भाद्र 12, 1895

No. 301] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 3, 1973/BHADRA 12, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके :

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August 1973

S.O. 459(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification of the Government of India in the late Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Food), No. S.O. 3180, dated the 28th September, 1970, namely:—

In paragraph 1 of the said notification, against the entry relating to item 4, for the words "Member Agricultural Prices Commission", the words "Professor of Economics and Head of the Economics Department, Sardar Patel University, Vallabh Vidya Nagar, Gujarat" shall be substituted.

[No. 1-15/71-Sugar]
S. V. SAMPATH, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय**(खाद्य विभाग)****अधिसूचना**

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1973

का० आ० 459(अ).—जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 3180, तारीख 28 सितम्बर, 1970 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में, भव 4 से सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने, “सदस्य, कृषि कीमत आयोग” शब्दों के स्थान पर, “प्राचार्य, अर्थशास्त्र और अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, बल्लभ विधाननगर, गुजरात” शब्द रखे जाएंगे।

[सं० 1-15/71-शर्करा]

एस० वी० सम्पथ, संयुक्त सचिव।